



पत्रांक: 802/सि0वि0वि/सा0प्रशा0/2026

दिनांक: 16/10/2026

सेवा में,

1. नोडल अधिकारी, परिसर
2. प्राचार्य/प्राचार्या, सम्बद्ध समस्त राजकीय, अनुदानित एवं स्व-वित्तपोषित महाविद्यालय।
सिद्धार्थ विश्वविद्यालय, कपिलवस्तु,
सिद्धार्थनगर।

विषय:-स्वामी विवेकानन्द युवा सशक्तिकरण योजनान्तर्गत डिजिशक्ति पोर्टल पर उपलब्ध छात्र-छात्राओं के डाटा का आधार प्रमाणीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में तत्काल आवश्यक कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय/महोदया,

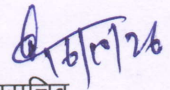
उपर्युक्त विषयक सन्दर्भ संख्या:-D/25-27/2779, दिनांक-09.10.2026 पत्र के क्रम में अवगत कराना है कि स्वामी विवेकानन्द युवा सशक्तिकरण योजनान्तर्गत डिजिशक्ति पोर्टल पर, दिनांक 25.09.2026 तक डिजिशक्ति पोर्टल पर उपलब्ध 26,43,473 लाभार्थियों के डाटा का आधार प्रमाणीकरण किया जाना शेष है। ऐसे लाभार्थियों को डिवाइस वितरण हेतु पात्रता सूची में सम्मिलित किया जाना तभी सम्भव होगा, जब डिजिशक्ति पोर्टल पर अपलोड डाटा का आधार प्रमाणीकरण की प्रक्रिया पूर्ण कर ली जायेगी।

उपलब्ध पात्र छात्र-छात्राओं के डाटा का आधार प्रमाणीकरण कराया जाना अत्यावश्यक है। इस हेतु निम्न कार्यवाही सुनिश्चित की जाये-

1. महाविद्यालय स्तर पर डिजिशक्ति पोर्टल पर उपलब्ध लाभार्थियों के विवरण का परीक्षण करते हुए जिन छात्र-छात्राओं का आधार प्रमाणीकरण लम्बित है, उन्हें निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार यथाशीघ्र पूर्ण कराने हेतु त्वरित कार्यवाही सुनिश्चित किया जाये।
2. प्राचार्य/नोडल अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि आधार प्रमाणीकरण से सम्बन्धित सूचना प्रत्येक पात्र छात्र/छात्रा तक अनिवार्य रूप से पहुँचायी जाये।
3. छात्र-छात्राओं को डिजिशक्ति पोर्टल पर उपलब्ध निर्धारित लिंक <https://digishakti-up-gov-in> के माध्यम से अपना आधार प्रमाणीकरण पूर्ण करने के सम्बन्ध में आवश्यक मार्गदर्शन प्रदान किया जाये।
4. महाविद्यालय स्तर पर डिजिशक्ति पोर्टल पर उपलब्ध लाभार्थियों के विवरण का परीक्षण करते हुए जिन छात्र-छात्राओं का आधार प्रमाणीकरण लम्बित है, उन्हें निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार इसे शीघ्र पूर्ण कराने हेतु निर्देशित एवं प्रोत्साहित किया जाये।

अतः उपर्युक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करते हुए प्रकरण में तत्काल आवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित करें, जिससे सभी पात्र लाभार्थियों को योजनान्तर्गत अनुमन्य लाभ प्राप्त करने में अनावश्यक विलम्ब न हो।

संलग्नक:-सन्दर्भित पत्र की छायाप्रति (02 पृष्ठ)।



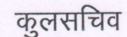
कुलसचिव

सिद्धार्थ विश्वविद्यालय, कपिलवस्तु,
सिद्धार्थनगर

पत्रांक: /तददिनांकित।

प्रतिलिपि:-निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निजी सचिव कुलपति, मा0 कुलपति जी के अवलोकनार्थ।
2. प्रभारी, कोडिंग सेल, कॉलेज लॉगिन एवं वेबसाइट पर प्रदर्शित करने हेतु।
3. सम्बन्धित पत्रावली हेतु।



कुलसचिव
सिद्धार्थ विश्वविद्यालय, कपिलवस्तु,
सिद्धार्थनगर

सेवा में,

1. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव,

उच्च शिक्षा विभाग, प्राविधिक शिक्षा विभाग, व्यावसायिक शिक्षा/कौशल विकास मिशन, चिकित्सा शिक्षा विभाग; सूक्ष्म, लघु एवं माध्यम उद्यम; पशुधन विभाग; कृषि विभाग; कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग; आई.टी. एवं इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग; संस्कृति विभाग; दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग; बेसिक शिक्षा विभाग, आयुष विभाग उ०प्र० शासन।

2. कुलपति,

इलाहाबाद विश्वविद्यालय, प्रयागराज; अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़; बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर केन्द्रीय विश्वविद्यालय, लखनऊ; बनारस हिन्दु विश्वविद्यालय, वाराणसी; केन्द्रीय तिब्बती अध्ययन विश्वविद्यालय, वाराणसी; राजीव गाँधी नेशनल एवीएशन विश्वविद्यालय, फुरसतगंज, अमेठी; नेहरु ग्राम भारती, प्रयागराज; उत्तर प्रदेश स्टेट इंस्टिट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंस, लखनऊ; लाल बहादुर शास्त्री पैरामेडिकल कौशल और प्रशिक्षण परिषद, मेरठ; केंद्रीय उच्च तिब्बती अध्ययन संस्थान, वाराणसी, उत्तर प्रदेश।

विषय: स्वामी विवेकानन्द युवा सशक्तिकरण योजनान्तर्गत डिजीशक्ति वेबपोर्टल पर उपलब्ध विभाग द्वारा छात्र-छात्राओं के डाटा का आधार प्रमाणीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय/महोदया,

आप अवगत ही हैं कि शासनादेश संख्या 667/77-1-2024 दिनांक 27.08.2024 के माध्यम से स्वामी विवेकानन्द युवा सशक्तिकरण योजनान्तर्गत डिजीशक्ति वेबपोर्टल पर उपलब्ध छात्र-छात्राओं के डाटा की डुप्लीकेसी रोकने हेतु आधार प्रमाणीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में समस्त जनपदों को आवश्यक कार्यवाही कराये जाने के दिशा-निर्देश दिए गये हैं।

2. उल्लेखनीय है कि निर्धारित प्रक्रियानुसार संस्थानों द्वारा अपलोड किया गया लाभार्थियों का डाटा संस्थान द्वारा वेरीफाई, सम्बंधित विश्वविद्यालय द्वारा अप्रूव एवं सम्बंधित विभाग द्वारा लॉक किये जाने के पश्चात लाभार्थी स्वयं का आधार प्रमाणीकरण किये जाने हेतु पात्रता की सूची में आता है, जिसको पूर्ण करने के पश्चात ही जनपद स्तर से उसका चयन कर सम्बंधित संस्थान को वितरण हेतु उपकरण प्राप्त कराया जा सकता है।

3. सूचनीय है कि योजनान्तर्गत पोर्टल पर उपलब्ध पात्र लाभार्थियों के मध्य वितरण किये जाने हेतु 25 लाख टेबलेट्स क्रय किये जाने की प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है जिसके क्रम में समस्त जनपदों में टेबलेट की आपूर्ति यथाश्रीघ सम्पन्न की जाएगी। वर्तमान में दिनांक 25.09.2026 तक योजना हेतु विकसित डिजीशक्ति पोर्टल पर उपलब्ध विभाग द्वारा लॉकड 26,43,473 लाभार्थियों का डाटा, लाभार्थी द्वारा स्वयं का आधार

प्रमाणीकरण किये जाने हेतु शेष हैं। इस स्थिति में उक्त लाभार्थियों का डाटा डिवाइस वितरण हेतु पात्रता की सूची में तभी सम्मिलित होगा जब उन लाभार्थियों द्वारा अपना आधार प्रमाणीकरण डिजीशक्ति की वेबसाइट <https://digishakti.up.gov.in> पर दिये गये लिंक के माध्यम से करा लिया गया हो।

आपसे अनुरोध है कि योजना से सम्बन्धित नोडल अधिकारी को अपने विभाग/विश्वविद्यालय के अंतर्गत आने वाले सभी संस्थानों के नोडल अधिकारियों को उक्त से अवगत कराते हुये यह जानकारी सभी छात्रों तक प्रभावी रूप से पहुँचाये जाने तथा इस प्रक्रिया को तत्परता से पूर्ण कराने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें जिससे सभी लाभार्थियों को योजना का ससमय समुचित लाभ प्राप्त हो सके।

भवदीया,
Digitally signed by
AKANKSHA RANA
Date: 08-10-2026
15:22:30

(आकांक्षा राना)
प्रबन्ध निदेशक

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ हेतु प्रेषित।

- 1- अपर मुख्य सचिव, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग, उ.प्र. शासन।
- 2 - कुलसचिव, योजना से सम्बन्धित समस्त विश्वविद्यालयों को आवश्यक कार्यवाही हेतु ई-मेल के माध्यम से प्रेषित।
- 3 - नोडल अधिकारी, योजना से सम्बन्धित समस्त संस्थानों को आवश्यक कार्यवाही हेतु ई-मेल के माध्यम से प्रेषित।

(आकांक्षा राना)
प्रबन्ध निदेशक